

प्रेषक,

चारूलता,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

30 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

**अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग:**

**लखनऊ : दिनांक: 03 अक्टूबर, 2018**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला योजना के सामान्य मद की अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत प्रोजेक्ट मोड में सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक 30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-3218/यूपीनेडा-सो0 स्ट्रीट लाईट-प्रो0मोड/बजट/2018-19, दिनांक 17 सितम्बर 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रोजेक्ट मोड में सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रू 6,39,00,000/- की बजट व्यवस्था है। इस धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू 3,19,50,000/- की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-733/87- अति0ऊ0स्रो0वि0/2018 दिनांक 23.04.2018 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। तदनुक्रम में अवशेष धनराशि रू 3,19,50,000/- (रू0 तीन करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी तथा विगत वर्षों में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष/अप्रयुक्त धनराशि एवं संस्थान की वर्तमान आडिट रिपोर्ट की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।
- 3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।
- 4- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 5- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- 6- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।
- 7- उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इसके लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी करायी जाय।
- 8- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 9- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

11- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च 2018 तथा अन्य संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

12- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के लेखा शीर्षक-"2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-03-विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0302-नान कन्वेंशनल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन (जिला योजना)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च 2018 द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,  
चारूलता  
संयुक्त सचिव ।

**संख्या एवं दिनांक:तदैव**

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, 30प्र0 शासन।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- (5) राज्य योजना आयोग-1, 30प्र0 शासन।
- (6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., इलाहाबाद।
- (7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
चारूलता  
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।